शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि

बनाम

सी. एल. जैन वूलेन मिल्स व अन्य

10 अप्रैल 2001

[जी.बी. पटनायक, एस.एन. फुकन और बी.एन. अग्रवाल, जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-धारा 45(2)(बी) और 11 एल(डी)- आयातित माल की जब्ती और निरोध अवधि के दौरान वाहक को डेमरेज शुल्क के राजस्व दायित्व द्वारा निरोध आदेश जारी करना- राजस्व को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध रूप से रोके गए माल को रिहा करने और वाहक को डेमरेज शुल्क का भुगतान करने का निर्देश-दायित्व का भार-अभिनिर्धारित: मामला अंतिम निर्णय तक पहुंचने के बाद से आयातक डेमरेज शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है-राजस्व द्वारा निरोध प्रमाणपत्र जारी करने से डेमरेज शुल्क के लिए माल पर वाहक द्वारा ग्रहणाधिकार के अधिकार को रद्द नहीं किया जा सकता है- राजस्व डेमरेज शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने पर विचार किए जाने वाले डेमरेज शुल्क की छूट- भारतीय बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1956-संविदा अधिनियम, 1872-धारा 170 और 171

कोरिया से भारत तक प्लायस्टर फिलामेंट सूत लाने के लिए प्रतिवादी द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन की सेवाएं ली गई थीं। माल को "बंबई के बंदरगाह पर भेज दिया गया और बाद में दिल्ली ले जाया गया, जहां यह भारतीय कंटेनर निगम के पास रहा। राजस्व ने आयात को अनिधकृत पाए जाने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा ॥। (डी) के तहत माल को जब्त करने का निर्देश दिया। हालाँकि, राजस्व ने प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 112 (ए) के तहत 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 7 लाख रुपये के भ्गतान पर माल को छोड़ने की अन्मति दे दी थी। प्रतिवादी ने सीईजीएटी के समक्ष राजस्व के आदेश को चुनौती दी, जिसे अग्रिम अन्जा और डीईईसी बुक में संशोधन के लिए स्थगित कर दिया गया था, प्रतिवादी की एक रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने राजस्व और सीईजीएटी के आदेशों को रद्द कर दिया और राजस्व को त्रंत माल मुक्त करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी राजस्व द्वारा की गई अवैध कार्रवाई के कारण डेमरेज शुल्क के भ्गतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष राजस्व की एक अपील खारिज कर दी गई थी। माल छुड़वाने में असफल रहने पर प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया प्रतिवादी के एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-निगमों को माल को मुक्त करने का निर्देश दिया और अभिनिर्धारित किया कि राजस्व निगमों को डेमरेज शुल्क का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी है, प्रतिवादी को नहीं। माल छुड़ाने में असफल रहने पर प्रतिवादी ने फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष एक और अवमानना याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-निगमों और राजस्व के खिलाफ अवमानना कार्यवाही श्रूरू की। इसलिए निगमों और राजस्व द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील की गई। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संजीव वूलन मिल्स, [1998] 9 एससीसी 647 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व अन्य बनाम ग्रैंड स्लैम इंटरनेशनल और अन्य [1995] 3 एससीसी 151 में इस न्यायालय के फैसले के बीच असंगतता के कारण अपीलों को वृहद पीठ को भेजा गया था। न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा इन अपीलों में अंतिम निर्णय के अधीन माल को मुक्त करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता-निगमों ने तर्क दिया कि माल पर ग्रहणाधिकार का अधिकार है बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और प्रतिवादी के साथ किए गए संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार डेमरेज शुल्क की वसूली के लिए उपलब्ध है; ग्रहणाधिकार का अधिकार संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत भी उपलब्ध है और इस तरह के अधिकार को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत राजस्व द्वारा निरोध प्रमाण पत्र जारी करके छीना नहीं जा सकता है और उच्च न्यायालय का आदेश बाध्यकारी नहीं है क्योंकि उन्हें कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

राजस्व ने तर्क दिया कि वह केवल इस आधार पर डेमरेज शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि उनके द्वारा माल की निरोध को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था; अधिनियम की धारा 45(2)(बी) के अनुसार, निरोध प्रमाणपत्र जारी करने पर, निगम संविदा के नियमों और शर्तों के बावजूद डेमरेज शुल्क के हकदार नहीं हैं।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया:1. प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के मद्देनजर और जो बाद में राजस्व द्वारा दायर विशेष अनुमित याचिका को खारिज करने पर अंतिम रूप से पहुंच गया है, प्रतिवादी का डेमरेज शुल्क/निरोध शुल्क का भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है। [1087-सी-डी]

2.1. प्रतिवादी और अपीलकर्ता, जिसके पक्ष में लदान का बिल भेजा गया है और जिसने माल को अपनी अभिरक्षा में रखा है, के बीच संबंध पक्षकारों के बीच एक संविदा द्वारा शासित होता है। संविदा की शर्तों और लदान के बिलों के प्रावधानों ने अपीलकर्ता को बकाया भुगतान होने तक माल को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से प्रदत्त किया। अपीलकर्ता के पक्ष में अर्जित होने वाले इस तरह के अधिकारों से वह राजस्व द्वारा

निरोध के प्रमाण पत्र जारी करने को तब तक रद्द नहीं कर सकता जब तक कि सीमा शुल्क अधिनियम का कोई भी प्रावधान इस तरह के जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। हो सकता है कि राजस्व ने वास्तविक रूप से माल की जब्ती की कार्यवाही शुरू की हो, जो अंततः विफल रही और उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दी गई। लेकिन इससे राजस्व को अपीलकर्ता को, जिसके पास ग्रहणाधिकार का अधिकार है, कोई डेमरेज शुल्क न लेने का निर्देश देने की शिक्त नहीं मिल जाएगी। निरोध प्रमाण पत्र जारी करने से अपीलकर्ता को आयातित सामान रखने के लिए जगह पर कब्जा करने के लिए डेमरेज शुल्क की मांग करने से रोका नहीं जाएगा, जिसे अपीलकर्ता प्रतिवादी से वस्तने का हकदार है। जब तक सीमा शुल्क निकासी नहीं दी जाती तब तक प्रतिवादी परिसर से सामान हटाने का भी हकदार नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं होगा कि कब्जे वाले स्थान के लिए आयातक पर डेमरेज शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि राजस्व द्वारा जारी किए गए आदेशों के कारण आयातक और अपीलकर्ता के बीच संविदा किसी भी तरह से नहीं बदला जाता है। [1092-बी-जी]

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45(2)(बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अन्यथा निस्तारण" का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह सीमा शुल्क अधिकारी को आयातित वस्तुओं के संबंध में निरोध प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करता है जो दोषमुक्त होगा आयातक को डेमरेज शुल्क का भुगतान करने से रोका जाएगा और जो अपीलकर्ता को डेमरेज शुल्क लगाने से रोकेगा। सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अपीलकर्ता को डेमरेज शुल्क लगाने से रोकने शुल्क लगाने से रोकने के लिए राजस्व पर शिक्त प्रदान करता है और इस प्रकार माल के आयातक को उसके भुगतान से मुक्त कर देता है। [1093-बी-डी]

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य बनाम ग्रैंड स्लैम इंटरनेशनल और अन्य, [1995] 3 एससीसी 151, पर भरोसा किया।

4. संजीव यूलन मिल्स मामले और ग्रैंड स्लैम इंटेमेशनल मामले में इस न्यायालय के फैसले के बीच कोई स्पष्ट असंगतता नहीं है। यदि राजस्व द्वारा आवेदन दायर किया जाता है तो यह न्यायालय निगमों को डेमरेज शुल्क माफ करने का निर्देश दे सकता है। (1094-बी; एफ-जी]

भारत संघ बनाम संजीव वूलन मिल्स, (1998] 9 एससीसी 647 और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य बनाम ग्रैंड स्लैम इंटरनेशनल एंड अन्य, (1995] 3 एससीसी 151, संदर्भित)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2681/2001

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.2.99 को सी.डब्ल्यू.पी. 1604/91 में सी एम संख्या 1553/99 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न

के साथ

सिविल अपील संख्या 2682-2684/2001

अपीलकर्ताओं की ओर से: दुष्यन्त दवे, दिनेश माथुर-जेबीडी एंड कंपनी की ओर से।

उत्तरदाताओं की ओर से: मुकुल रोहतगी, एएसजी, बी.दत्ता, एन.के. बाजपेयी, के.के. धवन, बी.के. प्रसाद, पी. परमेश्वरन, जी.एल. रावल, डी. राम कृष्ण रेड्डी, डी.बी. रेड्डी, आर.के. जोशी, सुशील कुमार जैन और ए.पी. धमीजा।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश पट्टनायक द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

अपीलों के इस समूह में, कानून का एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होने के बाद, उनकी एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है। विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता, जो अपने और माल के मालिक के बीच संविदा की शर्तों के तहत, माल पर ग्रहणाधिकार रखता है, जब तक कि बकाया का भ्गतान नहीं किया जाता है, उसे बिना किसी सीमा शुल्क के माल जारी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, केवल इसलिए कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निरोध आदेश जारी किया है? हम भारतीय नौवहन निगम बनाम सी. एल. जैन वूलन मिल्स के मामले में तथ्यों के संबंध में प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रतिवादी सी. एल. जैन वूलन मिल्स ने कोरिया से भारत में पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे की खेप का आयात किया। माल के लादने का बंदरगाह कोरिया में बुसान था और माल उतारने का बंदरगाह भारत में बॉम्बे था, लेकिन माल की स्पूर्दगी का स्थान आईसीडी, दिल्ली था। इस प्रकार बॉम्बे के बंदरगाह पर लाए जा रहे माल को छोड़ दिया गया था, लेकिन बॉम्बे में कोई सीमा शुल्क मंजूरी नहीं थी और सीलबंद कंटेनर को आईसीडी, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां यह भारतीय कंटेनर निगम के पास रहा। भारतीय नौवहन निगम माल की दूलाई के व्यवसाय में लगा हुआ है। लेडिंग बिल में निहित नियमों और शर्तों पर, उसे भेजे गए माल के संबंध में, निगम का दावा है कि जब तक डेमरेज शुल्क का भ्गतान नहीं किया जाता है, तब तक माल मुक्त नहीं किया जा सकता है। माल के दिल्ली पहंचने और अपीलकर्ता की निरोध में रहने के बाद, सीमा शुल्क अधिकारियों की राय थी कि 5,376 किलोग्राम वजन के पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे का आयात अनाधिकृत था और उन्होंने इसे जब्त करने का निर्देश दिया,

जिसका मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (डी) के अंतर्गत 11.50 लाख रुपये था। हालाँकि, उक्त सीमा शुल्क अधिकारियों ने मालिक को 7 लाख रुपये के भ्गतान पर सामान छुड़ाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 (ए) के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। माल के मालिक ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण [संक्षेप में सीईजीएटी] के समक्ष आदेश का विरोध किया। न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त कलेक्टर, सीमा शुल्क के आदेश की वैधता पर मालिक द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के बजाय, अग्रिम लाइसेंस और डी. ई. ई. सी. बुक में संशोधन करने का आदेश दिया और अपील को तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया। इसलिए, मालिक ने एक रिट याचिका दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे रिट याचिका संख्या 1604/91 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों के आदेश को रद्द करने, माल को जब्त करने और जुर्माना लगाने और आयात व्यापार नियंत्रण की मांग की गई थी। प्राधिकरण ने पॉलिएस्टर कपड़े के निर्यात दायित्व को 14,497.5 किलोग्राम से बढ़ाकर 22,330 किलोग्राम कर दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष मालिक की दलील थी कि निर्यात नीति और श्लक छूट योजना के अनुसार, कच्चे माल को आयात शुल्क के भ्गतान के बिना घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी जा सकती है। स्विधा का लाभ उठाने के लिए, आयातक को लाइसेंस के अन्दान के लिए आवेदन करना होता है जिसे अग्रिम लाइसेंस कहा जाता है और उसी के आधार पर, कच्चे माल को बिना किसी शुल्क के भुगतान के आयात किया जा सकता है। मालिक के अनुसार, आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के तहत, शुल्क के भ्गतान के बिना कच्चे माल के आयात का अधिकार देते हुए, सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब्ती की कार्यवाही को आगे बढ़ाने और जब्ती का आदेश देने के साथ-साथ जुर्माना अधिरोपित करने में गलती की थी। रिट याचिका में

सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ-साथ आयात और निर्यात नियंत्रक को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन दोनों के साथ-साथ भारत संघ ने भी मालिक के दावे का विरोध किया, जिसने प्रश्नगत माल का आयात किया था। उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर, 1994 के निर्णय द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर के सीमा शुल्क के 10 अगस्त, 1990 के आदेश के साथ-साथ सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के 21 मार्च, 1991 के आदेश को रद्द कर दिया गया और सीमा शुल्क कलेक्टर को माल को त्रंत मुक्त करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि चूंकि सीमा शुल्क अधिकारियों की कार्रवाई अवैध है, इसलिए संबंधित सामान को मालिक द्वारा किसी भी निरोध या डेमरेज शुल्क के भ्गतान के बिना मुक्त कर मालिक को देना होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय नौवहन निगम, जो वर्तमान अपील में अपीलकर्ता था, जो वाहक था और जिसका लेडिंग बिल के तहत माल पर ग्रहणाधिकार था, जब तक कि बकाया का भ्गतान नहीं किया जाता, उसे उपरोक्त रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस स्तर पर यह भी देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें मालिक को सीमा शुल्क अधिकारियों को 5 लाख रुपये के भ्रगतान और 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी पर माल जारी करने का अधिकार दिया गया था लेकिन मालिक ने उक्त अंतरिम आदेश का लाभ नहीं उठाया और माल वर्तमान अपीलकर्ता की हिरासत में रहा और डेमरेज शुल्क शुल्क बढ़ता गया। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर हमला किया, लेकिन वह विशेष अनुमति याचिका एसएलपी संख्या 5671/95 में 13.11.95 को खारिज कर दी गई थी।सीडब्ल्यूपी संख्या 1604/91 में उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, माल को छुड़ाने के अपने प्रयास में असफल होने पर माल के मालिक ने अवमानना कार्यवाही श्रूरू

करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे सीसीपी संख्या 120/95 के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और तदनुसार, अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। अवमानना याचिका को खारिज करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने मालिक को डेमरेज शुल्क/निरोध शुल्क के भुगतान के संबंध में उचित निर्देश के लिए उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अवमानना कार्यवाही में उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार, मालिक द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे सीएम 4829/96 के रूप में दर्ज किया गया था। उस आवेदन का निपटारा दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 18 जनवरी, 1999 के आदेश द्वारा कर दिया था। खण्ड पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि माल के वाहक को डेमरेज शुल्क वसूलने का अधिकार है और यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क अधिकारी इसका भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे या नहीं, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है और यह एक ऐसा मामला है, जिसे उन दो निगमों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक माल के मालिक का सवाल है, उसे सीडब्ल्यूपी संख्या 1604/91 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 9.9.94 के फैसले के आधार पर डेमरेज शुल्क का भ्गतान करने के किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। वह निरोध और डेमरेज शुल्क के भ्गतान के बिना माल मुक्त करने का हकदार होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क विभाग के साथ-साथ दो निगमों, जो वाहक हैं, को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मामले को सुलझाने के लिए बुलाया और आगे कहा कि यदि कोई निरोध या डेमरेज शुल्क देय है, तो इसका भ्गतान सीमा शुल्क विभाग द्वारा तीन सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इसने अपीलकर्ता सहित माल के वाहक को सीमा शुल्क विभाग द्वारा निरोध/डेमरेज शुल्क का भुगतान करने के बाद माल मुक्त करने का निर्देश दिया। उपरोक्त आदेश के बावजूद,

माल मुक्त नहीं किया जा रहा था, जब एक नई अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसे सीसीपी संख्या 89/99 के रूप में पंजीकृत किया गया था, तो उच्च न्यायालय ने 25.2.99 को नोटिस जारी किया, जिसमें कथित अवमाननाकर्ता से 11 मार्च, 1999 तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था। उपरोक्त अवमानना कार्यवाही की शुरुआत के विरुद्ध, भारतीय नौवहन निगम ने एसएलपी सं. 3391/99 दायर की। दिनांक 18.1.99 के आदेश को भी शिपिंग कॉर्पोरेशन द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसे एसएलपी संख्या 5001/99 के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारतीय कंटेनर निगम ने समान परिस्थितियों में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की और समान प्रश्न उठाया, जो कि एसएलपी संख्या 9021/99 है। भारत संघ ने देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ विशेष अनुमति याचिका संख्या 3063/2001 दायर करके दिनांक 18.1.99 के आदेश को भी चुनौती दी।मामलों के इस समूह को 11 फरवरी, 2001 को दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और क्छ समय तक मामलों की स्नवाई करने के बाद, पीठ ने महसूस किया कि भारत संघ बनाम संजीव वूलन मिल्स, 1998 (9) एस. सी. सी. 647 और 1995 में दर्ज ग्रैंड स्लैम इंटरनेशनल के मामले (3) एस. सी. सी. 151 में इस न्यायालय के फैसले के बीच कुछ विसंगति प्रतीत होती है और इस तरह कहा गया कि मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए और इस तरह, मामलों का यह समूह इन तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष है। जब 1 मार्च, 2001 को विशेष अनुमति की मंजूरी वाली ये अपीलें तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखी गईं, तो हमने निर्देश दिया था कि माल बिना किसी शर्त के मालिक को दे दिया जाए, लेकिन ऐसी सुपूर्दगी इन अपीलों में अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

इस न्यायालय में वाहकों का रुख यह है कि बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ उन नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिनके तहत माल आयात किया गया है, निगम-वाहक माल पर तब तक ग्रहणाधिकार रखता है जब तक कि डेमरेज शुल्क के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान न हो जाए और रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें ये वाहक पक्षकार नहीं थे, उस अधिकार को समाप्त नहीं करेगा। इन निगमों का आगे का तर्क यह है कि वाहक के अधिकारों का निर्धारण किए बिना और सीमा शूल्क अधिकारियों के साथ मामले को सुलझाने का निर्देश दिए बिना उच्च न्यायालय का दिनांक 18.1.99 का आदेश धारणीय नहीं है और इसलिए इसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सीमा शुल्क अधिकारियों और भारत संघ का रुख यह है कि सीमा शुल्क अधिकारियों को डेमरेज शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि माल को निरोध में लेने में सीमा शुल्क अधिकारियों की कार्रवाई अदालत द्वारा अवैध पाई गई थी। भारत संघ के अनुसार ऐसे मामले में जब सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निरोध प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो माल का वाहक उस संविदा के नियमों और शर्तों के बावजूद किसी भी डेमरेज शुल्क का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जिसके तहत माल ले जाया गया था और इस आधार पर, उच्च न्यायालय का दिनांकित 18.1.99 का आदेश त्रुटिपूर्ण है। दूसरी ओर माल के आयातक का तर्क है कि सी डब्ल्यू पी सं. 1604/91 में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रश्नगत माल को डेमरेज या निरोध शुल्क के भ्गतान के बिना मुक्त किया जाना चाहिए और आगे इस प्रभाव का निष्कर्ष निकालना कि सीमा शुल्क अधिकारियों का ज़ब्त करने और जुर्माना लगाने का आदेश अवैध और अमान्य है, आयातक को डेमरेज और निरोध शुल्क का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। आयातक का आगे यह तर्क है कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, माल को मुक्त न करना अदालत के आदेश का घोर उल्लंघन था और इसलिए, उपयुक्त अधिकारियों के साथ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

पहले निर्दिष्ट विभिन्न पक्षों की ओर से बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, पहला सवाल जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या माल के आयातक को किसी भी डेमरेज/निरोध शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? यह निर्विवाद है कि बिल ऑफ लैडिंग के नियमों और शर्तों के तहत, वाहक के पास माल पर तब तक ग्रहणाधिकार था जब तक कि सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और माल को रखा जाता है, मुक्त नहीं किया जाता है, निगम-वाहक डेमरेज शुल्क वस्तूलने का हकदार था। लेकिन माल के आयातक द्वारा दायर रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों को देखते हुए, माल को जब्त करने और जुर्माना लगाने में सीमा शुल्क अधिकारियों के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए और भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमित याचिका को खारिज करके उस आदेश को अंतिम रूप देने के बाद, आयातक का डेमरेज शुल्क का भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है और उस प्रश्न को फिर से उठाया नहीं जा सकता है।

अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है जो एक बड़ा मुद्दा है, अर्थात् यदि सीमा शुल्क अधिकारी माल को जारी नहीं करते हैं और कार्यवाही शुरू करते हैं और अंत में जब्ती का आदेश पारित करते हैं, लेकिन उस आदेश को अंततः अपील में दरिकनार कर दिया जाता है और यह न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता है कि माल का निरोध अवैध था, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या माल का वाहक जिसने शुल्क का भुगतान न करने के लिए माल पर ग्रहणाधिकार किया था, सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ संविदा के नियमों और शर्तों को लागू कर सकता है, जिससे उक्त अधिकारी डेमरेज शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, डेमरेज शुल्क उस स्थान के लिए लगाया जाता है जहां माल रहता है और उस अविध के लिए जब सीमा शुल्क भुगतान की कमी के कारण इसे मुक्त नहीं

किया जाता है। इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि सीमा शुल्क अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जबिक निगम का दावा जो एक वाहक के रूप में कार्य करता है, आयातक और वाहक के बीच संविदा के नियमों और शर्तों पर आधारित होता है। जहाँ तक सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों का संबंध है, वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों द्वारा सीमित हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8 सीमा शुल्क कलेक्टर को माल की उतराई और चढ़ाई के लिए किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह या सीमा शुल्क हवाई अड्डे या तटीय बंदरगाह में उचित स्थानों को मंजूरी देने और सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। धारा 33 अधिनियम की धारा 8(ए) के तहत अनुमोदित स्थान के अलावा किसी भी स्थान पर आयातित माल उतारने पर रोक लगाती है। धारा 34 में प्रावधान है कि आयातित माल उपर्युक्त अधिकारी की देखरेख के अलावा किसी भी वाहन से नहीं उतारा जाएगा। धारा 45 में आयातित वस्तुओं की निकासी का प्रावधान है। उसी प्रावधान को नीचे विस्तार से उद्धत किया जा सकता है:

धारा 45 आयातित वस्तुओं की अभिरक्षा और हटाने पर प्रतिबंधः

- (1) तत्काल लागू किसी भी कानून में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे गए सभी आयातित माल ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेंगे जो [सीमा शुल्क आयुक्त] द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं जब तक कि उन्हें घर के उपभोग के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है या वे भंडारित नहीं किए जाते हैं या अध्याय VIII के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं।
- (2) सीमा शुल्क क्षेत्र में किसी भी आयातित माल की अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति, चाहे वह उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत हो या उस

समय लागू किसी कानून के तहत, (ए) ऐसे माल का अभिलेख रखेगा और उसकी एक प्रति उचित अधिकारी को भेजेगा; (बी) उचित अधिकारी की लिखित अनुमित के तहत और उसके अनुसार ही ऐसे माल को सीमा शुल्क क्षेत्र से हटाने या अन्यथा निस्तारण की अनुमित नहीं देगा।

(3) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई आयातित माल उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में रहते हुए सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारने के बाद चोरी हो जाता है, तो वह व्यक्ति आयात घोषणा पत्र की सुपुर्दगी की तारीख पर प्रचलित दर पर ऐसे माल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा या, जैसा भी मामला हो, उस वाहन के आगमन के लिए धारा 30 के तहत उचित अधिकारी को एक आयात रिपोर्ट देगा जिसके तहत उक्त माल ले जाया गया था।

उपरोक्त प्रावधान के तहत, आयातित माल सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा, जब तक कि उन्हें घर के उपभोग के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है या उन्हें भंडारित नहीं किया जाता है या अध्याय VIII के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 47 घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी प्राप्त करने का प्रावधान है। धारा 49 आयातित माल के भंडारण को सार्वजनिक गोदाम में या निजी गोदाम में रखने का प्रावधान करती है, यदि सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमित दी गई हो।अधिनियम के अध्याय IX के तहत, उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त सार्वजनिक गोदामों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसमें शुल्क योग्य सामान जमा किया जा सकता है, जैसा

कि अधिनियम की धारा 57 में प्रावधान किया गया है। धारा 58 के तहत, उपायुक्त या सहायक आयुक्त निजी गोदामों को भी अनुज्ञप्ति दे सकते हैं जिनमें शुल्क योग्य आयातित सामान जमा किया जा सकता है। लेकिन सभी गोदामों में रखे गए माल सीमा शुल्क विभाग के उचित अधिकारी के नियंत्रण के अधीन होंगे, जैसा कि धारा 62 में प्रावधान किया गया है और माल के मालिक को सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा तय किए जाने वाले किराए और गोदाम शुल्क का भ्गतान करना आवश्यक है, जैसा कि धारा 63 में प्रावधान किया गया है। जैसा कि अधिनियम की धारा 67 में निर्धारित है, घरेलू उपभोग की निकासी या किसी अन्य गोदाम में ले जाने के अलावा किसी भी गोदाम में रखे माल को गोदाम से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। धारा 68 वह प्रक्रिया प्रदान करती है जिसका एक आयातक घरेलू उपभोग के लिए गोदाम में रखे माल को खाली करने के लिए पालन करेगा। धारा 2(43) में "गोदाम" शब्द को धारा 57 के तहत नियुक्त सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त निजी गोदाम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सीमा शुल्क अधिकारियों के पास आयातित वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण है और सीमा शुल्क अधिकारियों की अनुमति के बिना, माल को हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन साथ ही, सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए डेमरेज शुल्क वसूलने से किसी अन्य प्राधिकारी को प्रतिबंधित या निषेधित करने की शक्ति प्रदान करता हो। हम वर्तमान मामले में हम प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम या अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों से चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आयातित माल को किसी भी प्रमुख बंदरगाह या अंतरराष्ट्रीय हवाई मालवाहक में संग्रहीत नहीं किया गया था। हालाँकि, बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम के साथ-साथ संविदा अधिनियम के कुछ प्रावधानों की जांच करना आवश्यक हो सकता

है, क्योंकि शिपिंग निगम और कंटेनर निगम दोनों का दावा, माल के लिए कब्जे वाले स्थान के लिए डेमरेज शुल्क वसूलना, जारी नहीं किया जा रहा है, उनके बीच संविदा के कारण है। भारतीय लेडिंग बिल अधिनियम, 1956 के तहत, लेडिंग बिल में नामित माल के प्रत्येक प्रेषक और लेडिंग बिल के प्रत्येक पृष्ठांकिती को माल पर आत्यन्तिक अधिकार निहित है। बिल ऑफ लेडिंग शीर्षक का एक प्रसिद्ध व्यापारिक दस्तावेज है, जिसे व्यापार जगत में पृष्ठांकन द्वारा पृष्ठांकिती को हस्तांतरित किया जाता है, ऐसे बिल ऑफ लेडिंग के अंतर्गत आने वाले माल का शीर्षक होता है। खंड (18) उपलब्ध खाली समय के भीतर माल की निकासी न होने की स्थित में डेमरेज शुल्क के भुगतान का प्रावधान करता है। उक्त खंड को नीचे विस्तार से वर्णित किया गया है:

खंड 18 कंटेनर में माल की सुपुर्दगी: यदि कंटेनर में माल की रसीद व्यापारी द्वारा जहाज से निकलने के 48 घंटे के भीतर (या सुपुर्दगी के स्थान पर माल के आगमन के बाद, यदि यहां नामित है) नहीं ली जाती है तो वाहक अपने विवेक पर या तो कंटेनर को खोलने और व्यापारी की ओर से माल को सुरक्षित रखने और व्यापारी के जोखिम और व्यय पर या मार्ग पर लागू वाहक टैरिफ के अनुसार डेमरेज शुल्क वस्तलने के लिए स्वतंत्र होगा। जिस पर माल ढोया जाता है। यदि किसी भी कारण से कंटेनर (औं) के सामान को उतारना आवश्यक है और सामग्री को निशान और संख्या के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है, तो कार्गो स्वीपिंग तरल अवशेष और कोई भी लावारिस सामग्री जो अन्यथा जिम्मेदार नहीं है, व्यापारी को सुपुर्दगी पूरी करने के लिए आवंटित की जाएगी। वाहक को व्यापारी द्वारा अपने विवरण में बताए गए ब्रांड, निशान, संख्या, आकार या पैकेजों के प्रकार के अनुसार माल को अलग करने या वितरित करने की

आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल इस लदान बिल पर दिखाए गए कंटेनरों की कुल संख्या (यदि वे व्यापारी या पैकेज या इकाइयों द्वारा लादे गए हैं) (यदि वाहक द्वारा लादे गए कंटेनर हैं) वितरित करने की आवश्यकता होगी।

बिल ऑफ लेडिंग का खंड (2) वाहक शुल्क को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

खंड (२)-वाहक शुल्कः

"वाहक के लागू शुल्क की शर्तों को इसमें शामिल किया गया है और लागू शुल्क के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रतियां वाहक या अभिकर्ताओं से अनुरोध पर प्राप्त की जा सकती हैं। इस बिल ऑफ लैडिंग और लागू टैरिफ के बीच विसंगति के मामले में, यह बिल ऑफ लैडिंग मान्य होगा।"

खंड (14) संविदा के तहत देय सभी राशियों के लिए माल पर ग्रहणाधिकार प्रदान करता है। उक्त खंड को विस्तार से नीचे उद्धृत किया गया हैः

"खंड (14)माल ढुलाई आदि अर्जित

......सभी अवैतिनक शुल्कों का भुगतान पूर्ण रूप से और बिना किसी प्रतिपूर्ति, प्रतिदावा या कटौती के किया जाएगा। माल दुलाई या अन्य शुल्कों या वस्तुओं के वर्गीकरण में कोई भी त्रुटि सुधार के अधीन है और यदि सुधार पर माल दुलाई या शुल्क अधिक है तो वाहक प्रेषक या परेषिती से अतिरिक्त राशि एकत्र कर सकता है। वाहक के पास संविदा के तहत वाहक को देय सभी राशियों के लिए माल और उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज पर ग्रहणाधिकार होगा (जिसमें इसके संबंध में दिए गए

शिपिंग आदेश के अंतर्गत माल के किसी भी हिस्से पर अवैतनिक माल ढुलाई और मृत माल ढुलाई की सीमा शामिल है जो शायद नहीं भेजा गया है) और सामान्य औसत योगदान जिसे भी देय है और उसी की वसूली की लागत के लिए और उस उद्देश्य के लिए व्यापारी को बिना किसी सूचना के सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा माल बेचने का अधिकार होगा।व्यापारी इस खंड के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने में वाहक द्वारा किए गए सभी और किसी भी लागत के खिलाफ वाहक को क्षतिपूर्ति करेगा।"

बिल ऑफ लैडिंग में परिभाषा खंड के तहत अभिव्यक्ति 'वाहक' का अर्थ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और/या संबंधित कंपनी है जिसकी ओर से बिल ऑफ लैडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संविदा अधिनियम के दो प्रावधान, जिन पर अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री दवे ने दृढ़ता से भरोसा किया था, अब उन पर ध्यान दिया जा सकता है। धारा 170 माल के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए निक्षेपिती का ग्रहणाधिकार का अधिकार है और निक्षेपिती को तब तक माल रखने का अधिकार है जब तक कि वह अपनी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर लेता है। धारा 171 बैंकरों, कारकों, घाटपालों, वकीलों और नीति दलालों का सामान्य ग्रहणाधिकार है, जो उन्हें जमानत पर दिए गए माल को सुरक्षा के रूप में भी रखते हैं। अपीलकर्ता के लिए श्री दवे का तर्क यह है कि अपीलकर्ता को माल के संबंध में डेमरेज शुल्क का दावा करने का अधिकार है, जो उसकी अभिरक्षा में है, उक्त माल को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर मुक्त नहीं किया जाना, नियम और शर्तों के अंतर्गत आता है। आयातक और निगम के बीच संविदा और सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निरोध प्रमाण पत्र जारी करके उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है और इस

प्रकार यदि कोई न्यायालय यह निर्देश देता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल की अवैध निरोध के कारण आयातक डेमरेज शुल्क का भ्रगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो अपीलकर्ता इसके लिए बाध्य नहीं होगा, विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता सीमा शुल्क अधिकारियों और आयातक के बीच कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं था। दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री मुकुल रोहतगी का तर्क हैं सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 45(2)(बी) उचित अधिकारी की लिखित अनुमति के अलावा, सीमा शुल्क क्षेत्र से आयातित माल के छोड़े जाने पर रोक लगाती है। उपरोक्त प्रावधान में अन्यथा वर्णित अभिव्यक्ति भी निरुद्धकर्ता पर लगाया गया एक प्रतिबंध है और यह माल को छोड़े जाने के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध है। विचाराधीन निषेध माल को हटाने के साथ-साथ किसी भी तरह से माल के साथ निस्तारण करने के संबंध में है। यह माल को हटाने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का तरीका है और साथ ही, सीमा शुल्क अधिकारियों को शक्ति प्रदान करते हुए, यदि न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के बाद, एक अदालत उसे रद्द कर देती है और सीमा शुल्क अधिकारी तब एक निरोध प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो आयातक और अपीलकर्ता के बीच संविदा के बावजूद, आयातक किसी भी डेमरेज शुल्क का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और किसी भी दर पर, सीमा शुल्क अधिकारियों को डेमरेज शुल्क का भ्रगतान करने के दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इस मामले को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.1.99 के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी तर्कों के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, संविदा अधिनियम के साथ-साथ लदान बिलों के विभिन्न प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है।

प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सत्यता की जांच करने से पहले, एक बात पूर्णतया स्पष्ट है कि आयातक और माल के वाहक के बीच संबंध जिसके पक्ष में माल का बिल भेजा गया है और जिसने माल को अपनी हिरासत में रखा है, पक्षकारों के बीच संबंध संविदा द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 170 निक्षेपिती के ग्रहणाधिकार के सिद्धांत को उत्पन्न करती है, अर्थात् यदि किसी को वस्तुएँ उसे दिए जाने पर प्राप्त हुई हैं और उसे भ्गतान होने तक इसे संग्रहित करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए वह खर्च वहन कर सकता था, उसे तब तक इसे अपने पास रखने का अधिकार है जब तक कि उसका बकाया भ्गतान नहीं कर दिया जाता।लेकिन इस मामले में सामान्य कानून के सिद्धांत और निक्षेपिती के ग्रहणाधिकार की जांच करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविदा की शर्तों और लेडिंग बिलों के प्रावधानों के अनुसार, जब तक बकाया का भूगतान नहीं किया जाता है, तब तक माल को बनाए रखने के लिए अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की जाती है। अपीलकर्ता के पक्ष में अर्जित ऐसे अधिकारों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निरोध प्रमाण पत्र जारी करके रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि निरोध प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के कोई प्रावधान अधिकृत न हों। हमें सीमा श्ल्क अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया था, जो निरोध प्रमाण पत्र जारी होते ही सीमा शुल्क अधिकारियों को वाहक को डेमरेज शुल्क न वसूलने के लिए बाध्य करने में सक्षम करेगा। यह निस्संदेह सच हो सकता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने सद्भावना से सामान जब्त करने की कार्यवाही श्रूरू की होगी, जो अंततः असफल रही और न्यायालय ने इसे अवैध माना। लेकिन यह अपने आप में, सीमा शुल्क अधिकारियों को उस वाहक को निर्देशित करने की शक्ति नहीं देगा जो आयातित माल पर ग्रहणाधिकार बनाए रखना जारी रखता है, जब तक कि उसका बकाया भ्गतान नहीं किया जाता है, कोई डेमरेज शुल्क या तथाकथित जारी करने का शुल्क नहीं लेगा और न ही तथाकथित निरोध प्रमाण पत्र जारी करने से वाहक को स्थान के आयातित माल के कब्जे के लिए डेमरेज शुल्क के लिए कोई मांग करने से भी रोक दिया जाएगा, जिसे स्थान का मालिक आयातक से लेने का हकदार है। सीमा शुल्क मंजूरी दिए जाने तक आयातक भी परिसर से अपना माल हटाने का

हकदार नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आयातक पर उसके माल द्वारा कब्जा किए गए स्थान के लिए डेमरेज शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के कारण आयातक और स्थान के मालिक के बीच संविदा किसी भी तरह से नहीं बदला गया है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रजोर तर्क दिया और अपने तर्क के समर्थन में धारा 45 की उप-धारा 2 (बी) पर जोर देकर कहा दिया कि आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क विभाग के उचित अधिकारी की लिखित अनुमति के अनुसार निपटाया जाना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग करते हुए जब सीमा शुल्क अधिकारी न्यायिक कार्यवाही शुरू करते हैं और अंततः जब्ती करते हैं और जुर्माना लगाते हैं, जब ऐसा आदेश निरस्त कर दिया जाता है और एक निरोध प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो निरोध प्रमाणपत्र जारी करना धारा 45(2)(बी) में प्रयुक्त अन्यथा अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा, और इसलिए, स्थान का मालिक कोई डेमरेज शुल्क नहीं लेने के लिए बाध्य होगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि धारा 45(2)(बी) में अन्यथा प्रयुक्त अभिव्यक्ति, जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, यह सीमा श्ल्क अधिकारी को निरोध प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करता है। आयातित वस्तुओं के संबंध में प्रमाणपत्र, जो आयातक को डेमरेज श्ल्क का भ्रगतान करने से मुक्त कर देगा और जो स्थान के मालिक को किसी भी डेमरेज शुल्क लगाने से रोक देगा। सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों की संवीक्षा करने के बाद, हम ऐसे किसी भी प्रावधान का पता लगाने में असमर्थ हैं जो सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क शुल्क लगाने से रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को शक्ति प्रदान करता है और इस तरह आयातक को उसी के भ्गतान से मुक्त कर देता है। वास्तव में ग्रैंड स्लैम अंतरराष्ट्रीय मामले, 1995(3) एससीसी 151 में बहुमत का निर्णय स्पष्ट रूप से उपरोक्त निष्कर्ष पर आता है जिससे हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

हमने भारत संघ बनाम संजीव वूलन मिल्स, 1998 (9) एस. सी. सी. 647 में इस न्यायालय के निर्णय का भी परीक्षण किया है और हम ग्रैंड स्लैम में इस न्यायालय के निर्णय और संजीव वूलन मिल्स के निर्णय के बीच कोई स्पष्ट विसंगति नहीं पाते है। संजीव वूलन मिल्स में, आयातित सामान सिंथेटिक अपशिष्ट (नरम ग्णवता) थे, हालांकि सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसे रोक लिया, उनकी राय थी कि वे उच्च मूल्य के प्राइम फाइबर थे और नरम अपशिष्ट नहीं थे। माल मुक्त नहीं होने के कारण, आयातित माल पर भारी डेमरेज शुल्क लगता लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष एक वचन दिया कि यदि माल कृत्रिम अपशिष्ट पाया जाता है, तो राजस्व स्वयं संपूर्ण डेमरेज शुल्क और कंटेनर शुल्क वहन करेगा। इसके अलावा सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त ने बाद में माल को बिना शर्त छोड़ने का आदेश दिया था और फिर भी माल नहीं छोड़ा गया था। इन परिस्थितियों में और सीमा श्लक अधिकारियों द्वारा दिए गए विशिष्ट वचन के मद्देनजर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माल की निरोध की तारीख से लेकर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातक को सूचित करने तक, आयातक को डेमरेज शुल्क का भ्रगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उस मामले में आयातक-फर्म के भागीदारों में से एक द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर सीमा शुल्क अधिकारियों के आदेश के बाद भी, निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया था और इसलिए यह माना गया था कि उस अवधि के लिए, आयातक होगा डेमरेज शुल्क और कंटेनर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, संजीव वूलन मिल्स मामले में इस न्यायालय का निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में था और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परिस्थितियों की समग्रता और सीमा शुल्क अधिकारियों के आचरण को देखते हुए, प्रश्नगत आदेश

आयातक के साथ न्याय करने के लिए है। इस प्रकार, हम ग्रैंड स्लैम में संजीव वोलेन मिल्स के अनुपात और इस न्यायालय के फैसले के बीच कोई असंगतता नहीं देखते हैं। इसके अलावा, ग्रैंड स्लैम में फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला था। मौजूदा मामले में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, दिल्ली उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 9.9.94 सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1604/91, अंतिम हो गया है, जो आयातक को निरोध और डेमरेज शुल्क के भ्गतान के बिना माल जारी करने का अधिकार देता है। प्रासंगिक तथ्यों में, उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, माल नहीं छोड़ा गया है, आक्षेपित आदेश और दिनांक 18.1.99 के निर्देश को किसी भी तरह से कमजोर नहीं माना जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम में किसी भी प्रावधान की अन्पस्थिति में, सीमा शुल्क अधिकारी को उस स्थान के मालिक को प्रतिबंधित करने का अधिकार देना, जहां आयातित माल को डेमरेज शुल्क लगाने से संग्रहीत किया गया है, माल को मुक्त नहीं करने के लिए डेमरेज शुल्क अधिरोपित करना संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार है और इस तरह एक वैध शुल्क होगा। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल का निरोध अवैध था और इस तरह के अवैध निरोध ने आयातक को माल जारी करने से रोक दिया था, सीमा शुल्क अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम में किसी भी प्रावधान की अन्पस्थिति में सीमा शुल्क वहन करने के लिए बाध्य होंगे, सीमा शुल्क अधिकारियों को उस दायित्व से मुक्त कर देंगे। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 45(2)(बी) का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों को आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि उन्हें डेमरेज शुल्क का भ्गतान करने के दायित्व से मुक्त किया जा सके। उपरोक्त परिसर में, हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18.1.99 पर दिए गए निर्देशों में कोई दुर्बलता नहीं देखते हैं। प्रश्नगत माल, जिसे पहले ही मुक्त करने का निर्देश दिया जा चुका है, पर सीमा शुल्क का भ्गतान किए बिना, आयातक ने माल मुक्त करवा लिया होगा। वर्तमान मामले की तथ्य

स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह उचित और सही होगा कि हम शिपिंग निगम और कंटेनर निगम को निर्देश दें, यदि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा डेमरेज शुल्क को माफ करने के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

बी.एस.

अपील निस्तारित की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।